ग्राम पंचायत पारनु, विकास खंड कुनिहार, जिला सोलन के लेखों का लेखा परीक्षा एवं निरिक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2013 से 03/2016

भाग-1

1 प्रस्तावना (क):-

ग्या रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने एवं संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्यां PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07/04/2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० को सौंपने जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत पारनु पारनु, विकास खंड कुनिहार जिला सोलन का अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) गंभीर आपत्तियों का सार:-

क्रम सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1	स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानों के लेखाओं की बैंक समाधान विवरणी न बनाने के कारण अंतर	5 (क)(1)	0.17
2	डी0पी0ए0पी0 अनुदानों के लेखाओं में अंतर	5 (ख)	0.43
3	मनरेगा के लेखाओं में अंतर	5 (ग)	0.34
4	प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय करना	9 (ii)	1.34
5	दिनांक 31.3.2016 को अनुपयोगी अनुदानों का शेष	10	13.55
6	उपयोगी प्रमाण पत्र व स्वीकृति पत्र प्रस्तुत न करना	20	1.13
7	क्रय की गई निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	24 (ii)	2.19

2 अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

क्रम संख्यां	प्रधान	अवधि	सचिव	अवधि
1.	श्री मती कांता शर्मा	01/04/13 से 22/01/16	श्री प्रताप सिंह	01/04/13 से 31/03/16
2.	श्री विद्या सागर	23/01/16 से लगातार		

भाग-2

3 ग्राम पंचायत पारनु अवधि 01-04-2013 से 31.3.201 6 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शायें गए है, श्री पुनीश सागर अनुभाग अधिकारी द्वारा विकास खंड कार्यालय, कुनिहार में किया गया। लेखा परीक्षण के दौरान आय की विस्तृत जांच हेतु माह 03/14, 07/14 व 08/15 तथा व्यय हेतु माह 03/14, 09/14 व 11/15 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शायें गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

4 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत पारनु के लेखाओं अवधि 4/13 से 3/16 तक के अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹6000/- बनता है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां 67 दिनांक 27/01/2017 द्वारा यह राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदे शक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को भेजने हेतु अनुरोध कर दिया गया था।

5 वित्तीय स्थिति:-

(क) स्वस्त्रोतों एवं अनुदान:-

(i) ग्राम पंचायत पारनु के स्व-स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "क""** के अनुसार निम्न प्रकार से है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	314703.97	1123098.00	1437801.97	738736.00	699065.97
2014-15	699065.97	944392.00	1643457.97	779433.00	864024.97
2015-16	864024.97	1822421.00	2686445.97	1072622.00	1613823.97

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष =1613823.97—(1)

(परिशिष्ट "क"")

दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक खातों का, हस्तगत शेष तथा अनभुना चेक

=1630465.97 ---(2)

[1621770.97 (विभिन्न बैंक्स में) + 68.00(हस्तगत रोकड़)+ 8627 (अनभुना चेक)]

(परिशिष्ट “क”)

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न

बैंक खातों के शेष में अन्तर:- 16642/- (2-1)

नोट :- कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अंतर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31/03/16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण समक्ष प्रस्तुत की गई। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों ₹16642 के अंतर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जाए।

क(ii) विभिन्न अनुदानों के दर्शाए गए वार्षिक आय व्यय में अंतर होने बारे:-

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि अनुदानों के वार्षिक आय व्यय में निम्नानुसार अंतर था जबकि दोनों जानकारियों में वार्षिक आय/व्यय की राशियाँ एक समान होनी चाहिए थी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अंतर के कारण चिन्हित करके तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

वित्त वर्ष	**परिशिष्ट “क” के अनुसार वार्षिक आय व्यय**		**परिशिष्ट “ख” के अनुसार वार्षिक आय व्यय**	
	आय	**व्यय**	**आय**	**व्यय**
2013-14	1077216.00	715960.00	1075572.00	744248.00
2014-15	908056.00	728138.00	842299.00	678704.00
2015-16	1742628.00	1059254.00	1728498.00	1007744.00

(iii) अंकेक्षण अवधि के दौरान शेषों में ₹8627/- अनभुने चैक की राशि दर्शाई जा रही थी। स्पष्ट है कि यह चेक क्यों नहीं भुनाया जा सका इस बारे ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई कार्यवाही नहीं की थी तथा शेषों में इसे अनुभुना ही दर्शाया जा रहा था। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

(ख) DPAP:-

ग्राम पंचायत पारनु के वाटर शेड से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट “क” के अनुसार निम्न है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	228798.00	61108.00	289906.00	48400.00	241506.00
2014-15	241506.00	520545.00	762051.00	97400.00	664651.00
2015-16	664651.00	435284.00	1099935.00	676430.00	423505.00

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष =423505.00 (1)

दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक खातों /बही खातों के अनुसार शेष =380637.00 (2) **(परिशिष्ट "क"")**

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्तिथि तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर:- ₹42868/- (2-1)

नोट:- कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अंतर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31/03/16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण समक्ष प्रस्तुत की गई। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों ₹42868/- के अंतर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जाए।

(ग) मनरेगा:-

ग्राम पंचायत पारनु के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट " "क" के अनुसार निम्न है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	110952.00	1663649.00	1774601.00	1733209.00	41392.00
2014-15	41392.00	930668.00	972060.00	901883.00	70177.00
2015-16	70177.00	162608.00	232785.00	199169.00	33616.00

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष =33616.00 (1)

दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक बचत खातों के अनुसार शेष =NIL (2)

(परिशिष्ट "क")

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर:- 33616.00 (1-2)

नोट:- कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अंतर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31/03/16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण समक्ष प्रस्तुत की गई। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 दिनांक 31/03/16 को

वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों ₹33616/- के अंतर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जाए।

(घ) IWMP:-

ग्राम पंचायत पारनु के IWMP से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट "क" के अनुसार निम्न है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	शून्य	150100.00	150100.00	शून्य	150100.00
2014-15	150100.00	4355.00	154455.00	128750.00	25705.00
2015-16	25705.00	128780.00	154485.00	145306.00	9179.00

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष =9179.00 (1)

दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक बचत खातों के अनुसार शेष =9179.00 (2)

(परिशिष्ट ""क")

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्तिथि तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर:-शून्य (2-1)

6 वित्तीय स्थिति में दर्शाए गए आरम्भिक शेषों बारे:-

(i) अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "क"")** के अनुसार दिनांक 01/04/2013 को जो आरम्भिक शेष उठाए गए थे यह आरम्भिक शेष Trial balance वर्ष 2012-13 (परिशिष्ट "क") में से उठाए गए थे। परन्तु खाता बही प्रस्तुत न किये जाने के कारण 31/03/13 को Trial balance में विभिन्न बैंकों के दर्शाए गए शेषों का बही खाते (ledger) में 31/03/13 को दर्शाए गए शेषों से मिलान नहीं हो पाया। इस कारण आरम्भिक शेष के अंतर्गत दर्शाए गये विभिन्न बैंकों के शेष बही खाता में दर्शाए गये बैंकों के शेष के अनुसार हैं तथा सही हैं इस तथ्य की पुष्टि नही की जा सकी। अत: सम्बन्धित बही खाता आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए ताकि दिनांक 01/04/13 को उपरोक्त परिशिष्ट के अनुसार गए आरम्भिक शेष सही है इस तथ्य की पुष्टि की जा सके।

7 बैंक तथा डाक घर खातो में दिनांक 31/03/16 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे:-

परिशिष्ट "क"" के द्वारा विभिन्न बैंक/डाक घर खातों में जमा राशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी परन्तु बार-2 आग्रह करने के पश्चात उक्त परिशिष्ट में दर्शाए गए बैंक/डाक घर में दिनांक 31/03/16 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र (खाता संख्यां 101034001000206 के अतिरिक्त) सम्बन्धित बैंकों तथा डाक घरों से प्राप्त करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए। इस कारण इन खातों में दिनांक 31/03/16 को

जमा राशि के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 आगामी अंकेक्षण पर सम्बन्धित बैंकों/डाक घरों से दिनांक 31/03/16 को जमा राशि बारे प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए ताकि जमा राशि के सही होने बारे पुष्टि की जा सके। इसके अतिरिक्तDPAP डी0पी0ए0पी0 के अंतर्गत दिनांक 01/04/2013 को **परिशिष्ट "क""** दर्शाए गए शेष ₹228798/- की सम्बन्धित पास बुक में प्रविष्टि स्पष्ट न होने के कारण सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: सम्बन्धित बैंकों से दिनांक 01/04/13 को DPAP के अंतर्गत जमा राशि बारे प्रमाण पत्र प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

8 एस.जी.आर.वाई. से सम्बन्धित रोकड़ बही एवं वित्तीय स्थिति प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "क""** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 01/03/2013 को एस.जी.आर.वाई. मद के अंतर्गत ₹51904.90 (हस्तगत तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष मिला कर) तथा दिनांक 31/03/16 को ₹50904.90/- **परिशिष्ट "क"** "शेष दर्शाया गया था। अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के बावजूद एस.जी.आर.वाई. से सम्बन्धित रोकड़ बही, बैंक पास बुक, वित्तीय स्थिति आदि अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जोकि एक एक गम्भीर अनियमितता है। इस कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान एस.जी.आर.वाई. से सम्बन्धित आय व्यय की पड़ताल नहीं की जा सकी। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) एस.जी.आर.वाई से सम्बन्घित शेष पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करवाए गए तुलन पत्रों के अनुसार थे। दिनांक 31/03/16 को एस.जी.आर.वाई मद के अंतर्गत वास्तविक शेष ₹51904.90/-(4180+25582.90+21974+168) बनता था जबकि **परिशिष्ट "क""** में यह ₹50904.90/- ₹1000/- कम दर्शाया गया था। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित जानकारी में पाई गई अनियमितताओं बारे :-

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत आरम्भिक शेषों, प्राप्तियों, भुगतानों तथा अंतिम शेषों बारे उपलब्ध करवाई गई जानकारी यथा **परिशिष्ट " "ख"** के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(i) उपलब्ध करवाई गई जानकारी में आरम्भिक तथा अंतिम शेष पंचायत द्वारा प्रस्तुत किये गए तुलन पत्र (trial balance) में से उठाए गए हैं। परन्तु उपरोक्त परिशिष्ट में दिनांक 31/03/16 को दर्शाए गए निम्नलिखित अनुदानों से सम्बन्धित अंतिम शेष दिनांक 31/03/16 से सम्बन्धित तुलन पत्र में दर्शाए गए शेषों से मेल नहीं खाते हैं। अत: इस बारे स्थिति

स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

अनुदान का शीर्ष	**दिनांक 31/03/16 को तुलन पत्र के अनुसार शेष**	**दिनांक 31/03/16 को अनुदानों से सम्बन्धित जानकारी के अनुसार शेष**
RAY	5500/-	35600/-
IAY	10140/-	11040/-
13th FC	139459/-	417081/-

(ii) प्राप्त अनुदानों से ₹1.34 लाख का अधिक व्यय करना:-

परिशिष्ट "”ख”" द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित अनुदानों का शेष दिनांक 31/03/16 को ₹134156 ऋणात्मक दर्शाया गया था इस संदर्भ में चर्चा के दौरान संतोषप्रद उत्तर प्राप्त नही हो सका। अतः अनुदानों की राशि को ऋणात्मक दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अनियमितता का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

अनुदान का शीर्ष	**दिनांक 31/03/16 को शेष**
मानदेय प.पदाधिकारी	69895
वेतन सिलाई अध्यापिका	30243
वेतन प. चौकीदार	34018
कुल योग	**134156**

(iii) उपरोक्त परिशिष्ट के अनुसार दिनांक 31/03/16 को अज्ञात अनुदान से सम्बन्धित ₹23085/- शेष दर्शाया गया था। यह राशि किस अनुदान से सम्बन्धित थी इस बारे कोई भी जानकारी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाई गई। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे आवश्यक जानकारी प्राप्त करके तथा अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iv) अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित खाता बही प्रस्तुत न किये जाने के कारण तुलन पत्रों तथा अनुदानों से सम्बन्धित जानकारी में दर्शाए गए विभिन्न अनुदानों के आरम्भिक तथा अंतिम शेषों के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदानों से सम्बन्धित खाता बही update करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाये ताकि अनुदानों के शेषों के सही होने बारे पुष्टि की जा सके।

10 निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित प्राप्त राशियों में से ₹13.55 लाख का उपयोग न करना:-

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ख")** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31/03/16 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹14,89,536/- शेष

दर्शाया गया था परन्तु वास्तविक शेष ₹13,55,380/- (ऋणात्मक (Negetive) शेष घटा कर) प्रतीत होता है जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नही किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोधं होने के साथ -साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अत: अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31/03/2016 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उन से सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

11 सावधि निवेश:-

कई बार आग्रह करने के पश्चात भी ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान किये गए सावधि निवेश से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जिससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी राशी सावधि जमा योजना में निवेश नही की गई थी जबकि हि०प्र० पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचयात को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। लेकिन यह प्रतीत होता हो कि ग्राम पंचायत द्वारा इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अत: यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गये निदेशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

12 रोकड़ बही से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे:-

(i) रोकड़ वही को नियमानुसार तैयार न करनाः-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्याः 1 से 50 में वर्णित आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम-3 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जाएगा , परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक पंचायत ने अपनी आय के स्त्रोतों की रोकड़ वही में कुछ अनुदानों की आय को भी सम्मिलित किया गया था व शेष अनुदानों हेतु तीन रोकड वहियां अलग से लगाई गई थी , जो अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़

वही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ वही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) रोकड़ बही के रख रखाव बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बही का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। कई माहों के अंत में नियमानुसार प्रधान द्वारा न तो प्रमाण पत्र दिया जा रहा था तथा कई वाउचर्स पर प्रस्ताव संख्यां नहीं लिखी गई थी। रोकड़ बही में कई प्रविष्टियों का सत्यापन भी नहीं किया गया था। अत: इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में हि० प्र० पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7(1, 2 व 3) तथा 10 (3) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से किया जाए।

13 आय:-

(i) गृह कर की वसूली बारे:-

(क) ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली नियमित रूप से नहीं कि जा रही थी जैसा कि वर्ष 2014-15 में न के बराबर की गई वसूली से स्पष्ट हो जाता है। यह भी पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान बकाया ₹18150/- [1815 कुल परिवार (588+596+631)x10/- (गृह कर का रेट)] से अधिक ₹17870 (36020 -18150) लगभग दोगुना गृह कर की वसूली की गई थी । इस बारे चर्चा के उपरान्त कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो सका। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में गृह कर की वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा गृह कर (₹10/- प्रति वर्ष) के निर्धारण से सम्बन्धित पारित प्रस्ताव भी आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए क्योंकि अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बाद भी यह प्रस्ताव अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) अंकेक्षण के दौरान गृह कर मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित कोई अभिलेख/रजिस्टर अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह प्रतीत होता है या तो इस अभिलेख का रख रखाव ही नही किया जा रहा था या इसे update नहीं किया गया था। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर update करके प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) रसीद बुक से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नही दिया जा रहा था। रसीद बुक स्टोक रजिस्टर के प्रस्तुत न किये जाने के कारण रसीद बुकों के

उपयोग तथा उनके शेषों सम्बन्धी पड़ताल नही की जा सकी। अत: उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(iii) अनुदानों की प्राप्ति से सम्बन्धित कार्यालय आदेशों/दस्तावेजों का रख रखाव न करना:-

खंड विकास कार्यालय द्वारा समय-2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान जारी किये जाते हैं। निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खंड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी किये जाते होंगे जिन में जारी की गई राशियों उनके शीर्षो/निर्माण कार्यो आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खंड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नही किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिस कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु जारी की गई राशियों, उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वन हेतु वे जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव ग्राम पंचायत में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

व्यय:-

14 क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज निविदाएँ (quotations) प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान बार-2 आग्रह करने पर भी निम्नलिखित किये गये क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज निविदाएँ आदि (quotations) अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण क्रय करने से पूर्व हि० प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 67 में दिए गये निर्देशों के अनुसार विहित प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्रय करते समय नियम 67 में दिए गए निर्देशों का पालन ही न किया गया हो। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज निविदाएँ (quotations) आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए और यदि निम्नलिखित क्रय हेतु उपरोक्त नियम में वर्णित निर्देशों का पालन नहीं किया गया था तो इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवा के अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**राशि (र०)**	**क्रय की गई वस्तु / सेवा का विवरण**
मनरेगा	03/14	27	5000/-	पत्थर
		27	17500/-	पत्थर

स्वस्त्रोत तथा	03/14	39	16800/-	इंटें
अनुदान	09/14	52	60900/-	स्टील
		52	14100/-	रोड़ी
		52	6700/-	पेंट मेटीरियल
		53	3500/-	दरवाजे तथा रोशनदान
		53	3500/-	यथोपरि
		54	13500/-	रेत
वाटर शेड	03/14	25	7500/-	रेत
		26	6580/-	रोड़ी
		26	2150/-	चेम्बर निर्माण
		26	2763/-	स्टील
		26	1465/-	PVC पाइप
	11/15	32	12788/-	रेत तथा रोड़ी

15 जेसीबी चार्जीस के रूप में ₹0.44 लाख का अनियमित भुगतान:-

(क) व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु जे सी बी के किराये के रूप में निम्नानुसार ₹43941 का भुगतान किया गया था। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 के अन्तर्गत प्रावधित नियमों के अनुसार ₹1000 से अधिक के भुगतान /क्रय के लिये कोटेशनस/निविदाएँ आमंत्रित की जानी अनिवार्य है परन्तु इन भुगतानों के सन्दर्भ में कोटेशन्स/निविदाएँ नहीं दर्शाई गई। इसके अतिरिकत जेसीबी से करवाए गए निम्नलिखित कार्यों की सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा माप उपरान्त माप पुस्तिका में की गई प्रविष्टियाँ भी नहीं दर्शाई गई जिसकी अनुपस्थिति में जेसीबी चार्जिस का किया गया भुगतान उचित व तर्कसंगत था इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा निम्न भुगतानों के सन्दर्भ में कोटेशन्स/निविदाएँ आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाए और यदि उपरोक्त नियम 67 के निर्देशानुसार कार्य करवाने से पूर्व विहित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी तो इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में निम्नलिखित निर्माण कार्यों की प्रविष्टियाँ तथा इन कार्यों हेतु सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृतियां भी दर्शाई जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि (₹)	विवरण
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	11/15	80	11621/- 18320/- 14000/- 43941/-	लिंक रोड निर्माण यथोपरि यथोपरि

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त संविदाकारों को भुगतान करने से पूर्व निम्नलिखित वैधानिक कटौतियां नहीं की थी जिस कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई थी:-

(i) आयकर 2%

(ii) सेल्स टैक्स 3%

(ii) प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति राशि 10%

(iv) लेबर सेस 1 %

अतः उपरोक्त कटोतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं इन वैधानिक कटौतियों के संबन्धित से वसूल करके संबन्धित विभाग को भेजना सुनिश्चित करके कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

16 पावतीयां (receipts) से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे:-

(i) भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतीयां प्रस्तुत न करनाः-

हि० प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय की एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। यह प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से नहीं किया जा रहा है क्योंकि व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि क्रय निर्माण सामग्री तथा अन्य भुगतानों हेतु सम्बन्धित फर्मो/कार्यालय से भुगतान की एवज में पावतीयां प्रस्तुत नहीं की गई। इसके अलावा कुछ मस्टर रोल्स में सभी तथा कुछ में एक या दो श्रमिकों के हस्ताक्षर भी नहीं पाए गए। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार हैं। अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित पावतीयां अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में रसीदें ली जानी सुनिश्चित की जाए ।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/सेवा का विवरण
मनरेगा	03/14	25	13662/-	मस्टरोल संख्यां 2727/2074

		26	12006/-	मस्टरोल संख्यां 2742/43
		29	3850/-	मस्टरोल संख्यां 3084
		29	3500/-	मस्टरोल संख्यां 3090/91
		31	700/-	मस्टरोल संख्यां 3421/22
		31	9660/-	मस्टरोल संख्यां 3757
	09/14	40	15400/-	मस्टरोल संख्यां 875/76
		40	3080/-	मस्टरोल संख्यां 881
		40	1848/-	मस्टरोल संख्यां 882
		42	9702/-	मस्टरोल संख्यां 926/27
		42	10472/-	मस्टरोल संख्यां 924/27
		42	18326/-	मस्टरोल संख्यां 930/31
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	03/14	38	16800/-	इंटें
वाटर शेड	03/14	25	7500/-	रेत
		26	6580/-	रोड़ी
		26	2150/-	चेम्बर निर्माण
		26	2763/-	स्टील
		26	1465/-	PVC पाइप
	11/15	33	396500/-/-	BDO कुनिहार को राशि वापसी।

(ii) व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि किये गए भुगतानों की एवज में जो पावतीयां सम्बन्धित फर्मों/लाभार्थियों से प्राप्त की गई थी वे पावतीयां जिस प्रकार से लिखी गई थी उन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वास्तव में उन फर्मों/लाभार्थियों ने कितनी राशियाँ प्राप्त की थी। पावतीयों में दो राशियाँ अंकित की गई थी एक तो निम्न तालिका में दर्शाई गई रोकड़ बही के अनुसार भुगतान की गई राशि तथा दूसरी स्तम्भ" क" में दर्शाई गई राशि। पावतीयों से यह प्रतीत होता था कि फर्मों/लाभार्थियों ने रोकड़ बही में दर्शाए गया भुगतान की राशियाँ प्राप्त न करके निम्न तालिका के स्तम्भ (क) में दर्शाई गई राशियाँ प्राप्त की थी। निम्न कुछ प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित हैं तथा अंकेक्षण अवधि के अन्य मासों में भी पावतीयां इसी प्रकार प्राप्त की जा रही हों इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अत: इस बारे विभागीय जाँच उपरान्त निष्कर्ष से इस विभाग को अवगत करवाया जाये। भविष्य में किये गए भुगतानों के एवज में सही पावतीयां ली जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	भुगतान का विवरण	रोकड़ बही के अनुसार राशि का भुगतान (₹) /विवरण	जितनी राशि की पावती प्रतीत होती है (क)
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	11/15	79	IAY किश्त का भुगतान	37500/-	18750/-
			यथोपरि	37500/-	18750/-
			यथोपरि	37500/-	18750/-
			JCB मशीन हेतु किया गया भुगतान	11621/-	5810/-
			यथोपरि	18320/-	9160/-

17 मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारे:-

(i) मस्टर रोल रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि इस रजिस्टर को नियमित रूप से update नहीं किया जा रहा है तथा कई मस्टर रोल्स की प्रविष्टियाँ रजिस्टर में नही की गई थी जोकि अनियमित है तथा निम्नलिखित कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा मस्टर रोल रजिस्टर का रख रखाव तथा पूर्ण करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही/माह	पृष्ठ संख्यां	मस्टर रोल संख्यां	मस्टर रोल की राशि (₹)
मनरेगा/09/14	41	175	1750/-
		176	2625/-
		177	525/-
		178	4900/-

(ii) मस्टरोल जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर न पाए जाना:-

यह भी पाया गया कि कई मस्टर रोल्स पर जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं थे जोकि अनियमित है। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार हैं। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए ।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि (₹)	मस्टरोल संख्यां
मनरेगा	03/14	31	4900/-	3409

4900/	3410
4900/	3411/12
4900/	3413
4900/	3415
4900/	3417

(iii) यह भी पाया गया कि विभिन्न कार्यों हेतु मस्टर रोल्स से सम्बन्धित movement slip को पूर्ण रूप से नही भरा जा रहा था तथा village monitoring committee (vmc) के सभी सदस्यों से मस्टर रोल्स पर निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सत्यापन भी नहीं करवाया जा रहा था जोकि अनुचित है। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है। अत: इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	मस्टरोल की राशि (₹)
मनरेगा	11/15	46	14580/-
			18792/-
			3108/-
			3472/-
			2500/-

18 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे:-

(i) विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई निर्माण सामग्रियों का उन निर्माण कार्यों पर हुई की खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापन/आकलन (verfication/assessment) न दर्शाना:-

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों का सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर हुई की खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापन/आकलन (verfication/assessment) नहीं दर्शाया गया। जिस कारण इन निर्माण सामग्रियों का इन कार्यों के कार्यान्वन हेतु उचित एवं पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया था इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ -2 आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों की सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर हुई खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापन/आकलन दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु / सेवा का विवरण

मनरेगा	03/14	27	5000/-	पत्थर
		27	17500/-	पत्थर
स्वस्त्रोत तथा	03/14	39	16800/-	इंटें
अनुदान	09/14	52	60900/-	स्टील
		52	14100/-	रोड़ी
		52	6700/-	पेंट मेटीरियल
		53	3500/-	दरवाजे तथा रोशनदान
		53	3500/-	यथोपरि
		54	13500/-	रेत
वाटर शेड	03/14	25	7500/-	रेत
		26	6580/-	रोड़ी
		26	2150/-	चेम्बर निर्माण
		26	2763/-	स्टील
		26	1465/-	PVC पाइप
	11/15	32	12788/-	रेत तथा रोड़ी

(ii) निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आकलन, प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकीनीकी स्वीकृतियां तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने बारे:-

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने पर भी हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 94 तथा 101 में दिए गये निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आकलन (estimate) उनकी प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकीनीकी स्वीकृतियां एवं सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं (measurement books) में प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाई गई। साथ ही माप पुस्तिकाओं के रख रखाव से सम्बन्धित रजिस्टर भी अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त अनियमितता की पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

19 मस्टर रोल्स पर सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के हस्ताक्षर न पाए जाने बारे:-

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि कुछ मस्टर रोल्स का भुगतान सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के आकलन (assessment) के बिना ही कर दिया था तथा कुछ में सम्बन्धित तकनीकी प्राधिकारी द्वारा कार्य के आकलन के पश्चात जितनी राशि के लिए भुगतान पारित किये जाने थे वे राशियाँ मस्टर रोल्स पर नहीं लिखी गई थी । इन कारणों से निम्नलिखित मस्टर रोल्स द्वारा किये गये भुगतानों को सही नहीं माना जा सकता। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से

आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**मस्टर रोल की राशि (र०)**	**मस्टरोल संख्यां**	**टिप्पणी**
मनरेगा	03/14	26	12006/-	2742/43	तकनीकी प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य का आकलन नहीं किया गया था।
			9660/-	2744/2086	यथोपरि
		30	24426/-	3423/24	निर्माण कार्य के आकलन से सम्बन्धित राशि मस्टर रोल पर `नहीं लिखी गई थी ।
		30	6762/-	3425	यथोपरि
		31	9660/-	3757	तकनीकी प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य का आकलन नहीं किया गया था ।
	09/14	42	18326/-	930/31	यथोपरि
स्व स्त्रोत तथा अनुदान	09/14	51	7150/-	4753	तकनीकी प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य के आकलन से सम्बन्धी अभिलेख नहीं दर्शाया गया ।
		54	14000/-	4763	यथोपरि
वाटर शेड	11/15	32	2910/-	4775	यथोपरि

20 ग्राम पंचायत द्वारा आबंटित/जारी की गई ₹1.13 लाख के स्वीकृत पत्र व उपयोगिता प्रमाण/पत्र प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि निम्न लाभार्थियों को आवास योजना (IAY) के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु ₹112500/- जारी की गई थी। परन्तु बिल/वाउचर, संबन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवास निर्माण कार्य हेतु जारी स्वीकृति पत्र तथा कार्य की समाप्ति के पश्चात जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न किये जाने के कारण निम्न दर्शाए गए व्यय के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

रोकड़ बही	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां/माह	राशि (₹)
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	79 / 11/15	37500/-
		37500/-
		37500/-
	कुल योग	**112500/-**

21 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान बारे:-

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 6 2 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान , उप प्रधान, सदस्य चौकीदार, सिलाई प्रशिक्षण अध्यापिका, की मेन आदि को मासिक मानदेय का भुगतान किया जा रहा है परन्तु पदाधिकारियों /कर्मचारियों को देय मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः मानदेय की सही राशि की पुष्टि हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

22 पंचायत सचिव को किये गए ₹6030/- के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के भुगतान सम्बन्धी अनियमितताओं बारे:-

माह 03/14 में रोकड़ बही की पृष्ठ संख्यां 38 पर पूर्व पंचायत सचिव को ₹6030/- के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के भुगतान से सम्बन्धित वाउचर की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(i) यात्रा भत्ते दावे के फॉर्म पर मूल वेतन की प्रविष्टि नहीं की गई थी,

(ii) यात्रा भत्ते दावे के फॉर्म पर प्रत्येक यात्रा दिवस हेतु ₹130/- (70%) दैनिक भत्ते का दावा किया गया था परन्तु फॉर्म के सम्बन्धित स्तम्भ में दैनिक भत्ते का देय दर नहीं लिखी गयी थी तथा

(iii) यात्रा भत्ते दावे में सभी यात्राएं पारनू से कुनिहार तथा वापिस पारनू दर्शाई गई थी परन्तु TA claim फॉर्म पर कुनिहार पहुँचने तथा कुनिहार से वापिस चलने के समय की प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी।

उपरोक्त अनियमितताओं के कारण किये गये भुगतान के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अनियमितताओं बारे अपेक्षित

कार्यवाही उपरान्त अभिलेख आवश्यक पड़ताल हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए। भविष्य में उपरोक्त अनियमितताओं की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

23 अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित वाउचर्स तथा अन्य अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये तथा इस कारण किये गये भुगतान के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि	विवरण	टिपन्नी
IWMP	09/14	1	41050/-	सीमेंट	भुगतान वाउचर नहीं दर्शाया गया
			4500/-	सीमेंट	यथोपरि
			14100/-	रोड़ी	यथोपरि
वाटर शेड	07/14	25	3722/-	ब्याज	सम्बन्धित पास बुक में ब्याज की प्रविष्टि नहीं दर्शाई गई

24 स्टोर /स्टोक:-

(i) ग्राम पंचायत के भडार के प्रत्यक्ष सत्यापन (physical verification) बारे:-

लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा भंडार का भौतिक सत्यापन किये जाने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार ग्राम पंचायत भंडार का प्रत्येक 6 माह के पश्चात भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण यह प्रतीत होता है कि भडार का भौतिक सत्यापन किया ही नही जा रहा है जोकि निर्देशों की स्पष्ट अवेहलना है। अत; इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार (नियम 73 तथा 77) अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में भंडार का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) ₹2.19 लाख की क्रय की गई निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना:-

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित बिलों के भुगतान एवं क्रय की गई वस्तुओं की प्राप्ति एवं जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टोर/स्टोक/स्टेशनरी रजिस्टर्स में नहीं दर्शाई गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के

अतर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित किया जाए ।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**राशि (र०)**	**क्रय की गई वस्तु / सेवा का विवरण**
मनरेगा	03/14	27	5000/-	पत्थर
		27	17500/-	पत्थर
स्वस्त्रोत तथा	03/14	39	16800/-	इंटें
अनुदान	09/14	52	60900/-	स्टील
		52	14100/-	रोड़ी
		52	6700/-	पेंट मेटीरियल
		53	3500/-	दरवाजे तथा रोशनदान
		53	3500/-	यथोपरि
		54	13500/-	रेत
	11/15	80	11621/-	JCB का किराया
			18320/-	यथोपरि
			14000/-	यथोपरि
वाटर शेड	03/14	25	7500/-	रेत
		26	6580/-	रोड़ी
		26	2150/-	चेम्बर निर्माण
		26	2763/-	स्टील
		26	1465/-	PVC पाइप
	11/15	32	12788/-	रेत तथा रोड़ी
			218687	

25 विविध:-

(i) अस्थाई अग्रिमों बारे:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 1 दिनांक 18/07/16 तथा अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 67 दिनांक 27.1.17 द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद दिनांक 31/03/16 को न असमायोजित अग्रिमों बारे जानकारी उपलब्ध करवाई गई तथा न ही अस्थाई अग्रिम रजिस्टर अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 30 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अस्थाई अग्रिम रजिस्टर का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अत: इस अनियमितता बारे

स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) बजट आकलन (budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 की में दिए गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नही किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2013-14 से सम्बन्धित बजट आकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवाया गया था जोकि अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट “”ग”)** से स्पष्ट हो जाता है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आकलन निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार एवं पारित करवाए जाने सुनिश्चित किये जाए।

(iii) विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभि लेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर, अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, स्टोर/स्टोक रजिस्टर, रसीद बुक रजिस्टर आदि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका रख रखाव ही नही किया जा रहा है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में नियमानुसार/निर्देशानुसार रजिस्टर्स का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनको पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(iv) बिल पारित करने सम्बन्धी निर्देशों का पालन न करना:-

ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय राशियों को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(v) स्व स्त्रोत की प्राप्त आय-से सीधा व्यय करना:-

ग्राम पंचायत द्वारा कई बार स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय को सम्बन्धित बैंक खाते में जमा न करके रोकड़ बही में दर्शाने के उपरान्त पंचायत के कार्य हेतु व्यय किया जा रहा है , जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार पंचायत को प्राप्त होने वाली व पंचायत खाते से भुगतान की जाने वाली प्रत्येक राशि का सम्बंधित खाते

में जमा करवाया जाना व सम्बंधित खाते से ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है । अतः उक्त पाई गयी अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व भविष्य में उक्त नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

26 **लघु आपत्ति विवरणिका**:- अलग से जारी नहीं की गई हैं।

27 **निष्कर्ष**:- खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(4) 11/2017–खण्ड–1–2437–2440 दिनाँकः02.05.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत पारनू, विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0प्र0

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881